एस. एस. संधावालिया, सी. जे. और हरबंस लाल न्यायाधीश के समक्ष

नागेंद्र सिंह चौहान,-- *याचिकाकर्ता,*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - *उत्तरदाता।*

सिविल रिट सं. 1976 *का* 3555

20 अप्रैल, 1979।

हरियाणा भूमि होल्डिंग्स पर सीमा अधिनियम (1972 का 26) - *धारा* 3, 7 *और* 9 (2) - *भूमि की एक अलग इकाई के लिए एक भूस्वामी के बेटे की पात्रता का निर्धारण - बेटे के बहुमत की तारी*

ऐसी पात्रता निर्धारित करना - क्या इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले हो सकता है।

और रूप हरियाणा विधानमंडल के पास कृषि कानूनों के संबंध में पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति है और नियत दिन प्रासंगिकता या उद्देश्य के बिना तय किया गया एक मनमाना दिन नहीं है। इसी दिन भूमि सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त केंद्रीय पैनल के निर्णय की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी, जिसमें व्यापक रूप से भूमि की मात्रा की घोषणा की गई थी, जिसे पूरे देश के भीतर समान रूप से रखा जाना चाहिए। इसलिए, कृषि सुधारों और सीलिंग कानून के बड़े उद्देश्य को विफल करने के लिए उक्त तिथि के बाद किए गए भूमि के हस्तांतरण या अन्य निपटान को विचार से बाहर रखा जाना था। इसलिए, उक्त तारीख अपरिवर्तनीय निश्चित बिंदु बन गई, जहां से भूमि की अधिकतम सीमा और उसके तहत अधिशेष या अनुमेय क्षेत्रों पर काम किया जाना था। हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 7 स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी है क्योंकि यद्यपि यह अधिनियम 23 दिसंबर, 1972 को प्रख्यापित किया गया था, लेकिन भूमि पर अधिकतम सीमा और अधिनियम द्वारा घोषित अनुमेय क्षेत्र नियत दिन यानी 24 जनवरी, 1971 से लागू हुआ। इसलिए, यह स्पष्ट है कि भूमि मालिक का अधिशेष क्षेत्र, इसलिए, 24 जनवरी, 1971 की तारीख के संबंध में अपरिवर्तनीय रूप से तय किया जाना है। यह वास्तव में एक उत्सुक स्थिति होगी कि यदि ऐसा है *शर्त* भूस्वामी स्वयं, फिर भी जहां तक उसके वयस्क पुत्र के लिए अनुमत अलग इकाई का संबंध है, इसे धारा 9 (2) के तहत अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख के तीन महीने के भीतर लगातार उतार-चढ़ाव वाले दिन के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों से ऐसा प्रतीत होता है कि एक अलग इकाई की अवधारणा वयस्क बेटे का भूमि रखने का अधिकार नहीं है, बल्कि संक्षेप में भूमि का अधिकार है जो पिता को अपने साथ रहने वाले अपने प्रत्येक वयस्क बेटे के लिए अतिरिक्त भूमि रखने का अधिकार देता है। इसलिए, सरकार अधिनियम के प्रवर्तन से पहले भूमि की एक अलग इकाई के लिए पात्र होने के लिए बेटों के बहुमत का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक तारीख तय कर सकती है। (पैरा 10)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 *के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहत ें दी जाएं: –*

(□) धारा *118 (7)* ए और, 228 (8) ए *के प्रावधानों* और हरियाणा भूमि होल्डिंग ्स अधिनियम के प्रावधानों को *भारत के संविधान के* अनुच्छेद *14, 19: (आई) (एफ), 31 (1),* और *265 के* प्रावधानों के विपरीत *घोषित किया जाए ;*

(□) *प्रतिवादी संख्या 1000 को निदेश देते हुए परमादेश की एक रिट जारी*

*की जाए। 2 कानून के अनुसार आगे*बढ़ना;

(□) *अनुदेश अनुदेश अनुलग्नक* पी/एल *को रद्द किया जाए और कोई अन्य उपयुक्त रिट, निदेश या आदेश जो यह माननीय द्वारा दिया जाए।*

न्यायालय परिस्थितियों में उचित समझ सकता है का *मामला जारी किया जाए ;* '

(□) *रिट याचिका के निर्णय तक विवाद में भूमि से याचिकाकर्ता के कब्जे पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए; और*

(□) *याचिकाकर्ता को याचिका की लागत की अनुमति दी जाए।*

(□) *मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, नोटिस भेजने के संबंध में शर्त हटा दी जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर से वकील *रवि कपूर के साथ वकील के. पी. भंडारी।*

प्रतिवादी की ओर *से एस.सी. मोहंता, ए.जी. और बी.एल. गुलाटी, एडवोकेट।*

निर्णय

एस.एस. *संधावालिया,* न्यायाधीश के समक्ष

(1) क्या हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 24 जनवरी, 1971 को भू-स्वामी के पुत्र के बहुमत का निर्धारण करने की महत्वपूर्ण तिथि (और उसके परिणामस्वरूप भूमि की पृथक इकाई के लिए उसकी पात्रता) नियत की गई है, यह निश्चित रूप से सोलह रिट याचिकाओं के इस समुच्चय में निर्धारण के लिए उठाया जाने वाला एकमात्र प्रश्न है, यद्यपि यह सार्थक है।

(2)जैसा कि iAs1 ऊपर दिए गए सिद्धांत ों से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, यह प्रश्न प्रथम दृष्टया कानूनी है और इसलिए, तथ्य प्रासंगिक महत्वहीन हो जाते हैं। इसलिए, 1978 के सीडब्ल्यूपी संख्या 3555 (नागेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य) का संक्षिप्त संदर्भ देना पर्याप्त है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका जन्म 24 अप्रैल, 1954 को हुआ था और यह कहा गया है कि उसके पिता के पास विभिन्न ग्राम सम्पदा में काफी कृषि भूमि थी। हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 23 दिसंबर, 1972 को उस तारीख के राजपत्र में प्रकाशन द्वारा लागू किया गया था। इसके प्रावधानों के आधार पर याचिकाकर्ता के पिता अपने प्रत्येक वयस्क बेटे के लिए

अनुमेय क्षेत्र की एक अलग इकाई का चयन करने के हकदार थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रवर्तन की उपरोक्त तारीख से अनुमेय क्षेत्र की एक अलग इकाई का निहित अधिकार उत्पन्न हुआ, जिसे अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत चयन करते समय प्रत्येक वयस्क बेटे के लिए दावा किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का दावा कि इस भौतिक तिथि को उसने वयस्कता प्राप्त की थी। तथापि, प्रतिवादी-राज्य ने घोषणा पत्र भरने के लिए अनुदेश, अनुलग्नक पी-1 जारी किए थे जिसमें पैराग्राफ 7 में यह निर्धारित किया गया था कि भू-स्वामी के पुत्रों के बहुमत का निर्धारण करने के लिए सामग्री तिथि 24 जनवरी, 1971 थी। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, प्रतिवादी-राज्य के पास बालिग होने की आयु निर्धारित करने के लिए उपरोक्त तिथि निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है और इस प्रकार उसे क़ानून के तहत प्राप्त अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसलिए, उपरोक्त अनुलग्नक पी. 1 को स्पष्ट रूप से अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संपत्ति रखने के याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है।

(3) इसमें स्पष्ट ध्यान देने की मांग की गई है कि कई रिट याचिकाओं में चुनौती का एक बड़ा हिस्सा अधिनियम की धारा 18 (7), (8) और (9) के खिलाफ भी लगाया गया था, जो अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील पेश करने के लिए पूर्व शर्तें निर्धारित करता है। हालांकि, सुनवाई के समय यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि मामले का यह पहलू अब **श्री चंद और अन्य बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य* 1978 ' एफ.एल.आर. 860**.मामले में इस न्यायालय की विस्तृत खंडपीठ के फैसले द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निष्कर्ष निकाला गया *था* । इसलिए रिट याचिकाओं में उल्लिखित कथनों के इस पहलू का कोई संदर्भ नहीं मांगा जाता है।

(4) अनुलग्नक पी.1 का भौतिक भाग, आक्षेपित अनुदेश, जिसे चुनौती दी जा रही है, निम्नानुसार है:-

(5) पीठ ने कहा, "भाग एक के कॉलम तीन में 24 जनवरी 1971 को नामित व्यक्तियों की उम्र दी जानी चाहिए। जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि और, ऐसा न करने पर, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में, पहली बार में, स्वीकार किया जाएगा। उम्र के प्रमाण के रूप में। चिकित्सा प्रमाण पत्र और इन प्रविष्टियों के अस्तित्व के प्रमाण पर ही मौखिक-साक्ष्य पर विचार किया जाएगा।अब याचिकाकर्ताओं की

ओर से तर्क का मूल यह है कि भूमि के पुत्र के बहुमत की आयु निर्धारित करने के लिए टर्मिनस धारा©9 (1) के तहत घोषणा दायर करने की वास्तविक तारीख निर्धारित करता है। अधिनियम के बारे में। मूल रूप से निर्धारित तारीख (तीन महीने के भीतर जहां भूस्वामी घोषणा दायर करने के लिए बाध्य था) 15 अप्रैल, 1976 थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। विकल्प में यह तर्क दिया गया था कि उच्चतम स्तर पर महत्वपूर्ण तारीख को 23 दिसंबर, 1972 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जब अधिनियम लागू हुआ था।

5. अनिवार्य रूप से यहां तर्क क़ानून के सुविधाजनक प्रावधानों के इर्द-गिर्द घूमना चाहिए और इसलिए, शुरुआत में ही इन्हें पुन: पेश करना सबसे अच्छा है: –

"3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो: –

(□) 'वयस्क' का अर्थ है एक व्यक्ति जो नाबालिग नहीं है;

(□) 'नियत दिवस' का अर्थ है जनवरी, 1971 का चौबीसवां दिन;

(□) 'परिवार' का अर्थ है पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे या उनमें से कोई भी दो या अधिक;

ख़ुलासा: * * * *

(□□) 'पृथक इकाई' का अर्थ है एक वयस्क पुत्र जो अपने माता-पिता या उनमें से किसी एक के साथ रहता है और उसकी मृत्यु के मामले में उसकी विधवा और बच्चे, यदि कोई हो।

5. 4. (1) भू-स्वामी या किरायेदार या बंधक के संबंध में अनुमेय क्षेत्र, जिस पर कब्जा है या आंशिक रूप से एक क्षमता में या आंशिक रूप से दूसरे में; पति, पत्नी और तीन अवयस्क बच्चों (इसके बाद 'परिवार की प्राथमिक इकाई' के रूप में संदर्भित) वाले व्यक्ति या परिवार का सदस्य, निम्नलिखित के संबंध में होगा-

(□) सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम है (इसके बाद सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि के रूप में जाना जाता है), 7.25 हेक्टेयर;

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□
(□□.□□. □□□□□□□□□□□, □□.□□.)

(□) *& (ग)* * * *

5. 4(3) अनुमेय क्षेत्र को प्रत्येक पृथक इकाई के लिए परिवार की प्राथमिक इकाई के अनुमेय क्षेत्र तक और बढ़ाया जाएगा।

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□
(□□.□□. □□□□□□□□□□, □□.□□.)

(6) 7. किसी विधि, रीति-रिवाज, उपयोग या करार में निहित विपरीत किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति हरियाणा राज्य के भीतर नियत दिन या उसके बाद अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि रखने का हकदार नहीं होगा, चाहे वह भूस्वामी या किरायेदार के रूप में हो या कब्जे के साथ बंधककर्ता के रूप में या आंशिक रूप से एक क्षमता में या आंशिक रूप से किसी अन्य में।

(7) 9(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन या उसके बाद किसी भी समय अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करता है; ऐसी तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में या बाद में भूमि के अधिग्रहण द्वारा, विहित प्राधिकारी को एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेगी जिसमें उसकी सभी भूमि और पृथक इकाई का विवरण निर्धारित प्रपत्र और रीति से दिया जाएगा और उसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि वह कुल अनुमेय क्षेत्र से अधिक नहीं है। जिसे वह बरकरार रखना चाहता है।

बशर्ते कि* * * *

ख़ुलासा* * * *

(8) 9(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमेय क्षेत्र का चयन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पृथक इकाई के लिए भूमि का चयन भी कर सकेगा।

J

स्पष्टीकरण: एक वयस्क बेटा, जो भूमि का मालिक है या रखता है और अपने माता-पिता से अलग रह रहा है, उप-धारा (1) के तहत घोषणा दायर करेगा और उप-धारा (2) के तहत अनुमेय क्षेत्र का चयन अलग से करेगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ो ने यह स्पष्ट किया है कि संक्षेप में वे खंडपीठ के तर्क के कोने के पत्थर से उपजी *हैं/* ***नलिनी रंजन सिंह और अन्य बिहार राज्य और अन्य*** **ए.आई.आर. 1977 पटना 171** इस फैसले पर विद्वान वकील और विशेष रूप से श्री केपी भंडारी द्वारा बार-बार दृढ़ भरोसा किया गया था, जिन्होंने मामले में बहस का नेतृत्व किया था। इसलिए, पहले इस प्राधिकरण से निपटना सबसे अच्छा है, क्योंकि बाकी तर्क उनकी ओर से हैं।

(2

इसके बाद याचिकाकर्ताओं की संख्या में कटौती की जाएगी। *नलिनी रंजापी सिंह के मामले* (सुप्रा) में इसी तरह का एक सवाल उठा, लेकिन बिहार भूमि सुधार (सीलिंग क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1967 के 12 के काफी अलग प्रावधानों के तहत, जैसा कि 1972 के अधिनियम संख्या 1 द्वारा संशोधित किया गया था। इसमें यह माना गया था कि भूस्वामी के बच्चे के बहुमत के निर्धारण के लिए सामग्री तिथि वह तारीख थी जिस दिन संशोधित अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत नोटिस प्रकाशित किया गया था।

(9) सबसे पहले; याचिकाकर्ताओं के वकील ो ं के वकीलआकर्षक लगते हैं, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बिहार अधिनियम के प्रावधान (मूल और संशोधित दोनों) और वर्तमान मामले के प्रावधान भौतिक बिंदुओं पर इतने अलग हैं कि उक्त मामले में इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बहुत कम समानता होगी। सबसे पहले, इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण पूरी तरह से हरियाणा अधिनियम के तहत नियत दिन से सह-संबंधित है - वास्तव में यह नियत दिन एक ध्रुव तारा है जिसके चारों ओर अन्य प्रावधान बिहार अधिनियम में घूमते प्रतीत होते हैं, इसके निर्धारण के लिए एक नियत दिन का कम से कम संदर्भ या अवधारणा भी नहीं है। भूमि स्वामी या किसी बड़े या नाबालिग बच्चे का अधिशेष क्षेत्र। यहां तक कि *नलिनी रंजन सिंह के मामले* (सुप्रा) में फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि तर्क का एक बड़ा हिस्सा बिहार अधिनियम की धारा 5 (1) (आई) और धारा 5 (3) (आई) के इर्द-गिर्द घूमता है और इनमें किसी निश्चित या नियत दिन का कोई उल्लेख नहीं है। हरियाणा अधिनियम की धारा 7, जो भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए बुनियादी प्रावधान है और इसकी सरल भाषा में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति नियत दिन या उसके बाद अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि रखने का हकदार नहीं होगा। टर्मिनस और वास्तव में यहां कानून का मूल नियत दिन पर आंका गया है। इसके विपरीत, बिहार अधिनियम में इस प्रकार का दूर-दूर तक कोई प्रावधान नहीं है और किसी भी मामले में हमारे ध्यान में कोई भी नहीं लाया गया था। नलिनी *रंजन सिंह के मामले* (सुप्रा) में निर्माण के लिए जो मूल क़ानून बनाया गया था, वह बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 का पूर्व क़ानून था। बिहार अधिनियम सं 2008 द्वारा इसमें पर्याप्त संशोधन किए गए थे। मैं 1973 का हूं। यह मूल प्रावधानों और बाद में पेश किए गए संशोधनों का एक साथ खिलवाड़ था, जिसने निर्माण की कठिनाइयों को जन्म दिया, जिसे डिवीजन बेंच के समक्ष हल किया जाना था। न तो मूल क़ानून और न ही संशोधन अधिनियम में भी ऐसा था।

किसी भी निश्चित या नियत दिन की अवधारणा। दूसरी ओर हरियाणा अधिनियम एक स्व-निहित क़ानून है जिसमें नियत दिन की अवधारणा शुरू से अंत तक बड़ी है।

(10) नलिनी रंजन सिंह के मामले *में खंडपीठ* ने कहा कि संशोधन अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत नोटिस प्रकाशित करने की तारीख एक महत्वपूर्ण तारीख थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि धारा 6 को छोड़कर पूरे अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान नहीं था, और इसके तहत कोई अन्य निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था या निर्धारित नहीं किया गया था। दूसरी ओर, हरियाणा अधिनियम की धारा 9 अनुमेय क्षेत्र के चयन और इसके संबंध में भूस्वामियों द्वारा घोषणा और शपथ पत्र दाखिल करने का प्रावधान करती है। प्रारंभ में ही यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास नियत दिन या उसके बाद किसी भी समय अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि है, को अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थित एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उसके स्वामित्व वाली भूमि के सभी विवरण और साथ ही निर्धारित प्रपत्र आदि में अलग-अलग इकाइयों के विवरण होंगे। यहां फिर से अपेक्षित घोषणा दायर करने का दायित्व, साथ ही भूस्वामी के अनुमेय क्षेत्र और उसके प्रमुख पुत्र के लिए अलग इकाई दोनों को धारण करने का अधिकार सीधे नियत दिन से सह-संबंधित प्रतीत होता है। हरियाणा अधिनियम और बिहार अधिनियम के प्रावधानों के बीच असमानता को और उजागर करने वाली बात बाद के अधिनियम की धारा 16 (2) है, जिसमें प्रावधान किया गया था कि इसकी धारा 15 (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर उसमें निर्दिष्ट भूमि को अधिग्रहित माना जाएगा और राज्य में निहित किया जाएगा। आदि। इसके ठीक विपरीत हरियाणा अधिनियम की धारा 12 (3) के प्रावधान हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि पंजाब कानून के तहत अधिशेष घोषित क्षेत्र या किरायेदार का अनुमेय क्षेत्र और पेप्सू कानून के तहत अधिशेष घोषित क्षेत्र, जो अब तक राज्य में निहित नहीं है, को नियत दिन से राज्य सरकार में निहित माना जाएगा।

(11) अब बिहार अधिनियम के अन्य उपबंधों, जो कि बिल्कुल भिन्न हैं, के संदर्भ में इस निर्णय पर भार डाले बिना और ऊपर दिए गए भौतिक उपबंधों की स्पष्ट असमानता से यह स्पष्ट होगा कि भौतिक तिथि के संबंध में संविधि की पूरी योजना इतनी भिन्न है कि हरियाणा अधिनियम के विशिष्ट उपबंधों के निर्माण के प्रयोजनों के लिए बिहार संविधि से कोई तर्कसंगत सादृश्य नहीं लिया जा सकता है। बुनियादी अंतर यह है कि जबकि हरियाणा अधिनियम नियत दिन की निश्चित अवधारणा के आसपास सह-संबंधित है और घूमता है, बिहार अधिनियम ऐसे किसी भी विचार से पूरी तरह से अनजान है। *नलिनी*

(□□.□□. □□□□□□□□□□□, □□.□□.)

इसलिए, रंजन सिंह का मामला इतना व्यापक है कि यह किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता है।

(12) याचिकाकर्ताओं के वकील ोें की ओर से दिए गए बुनियादी उदाहरण के आधार पर दिए गए तर्क ोें के आधार पर या तो उनकी ओर से दी गई दलील ेें या तो बारीकी से जांच का सामना नहीं करती हैं. प्रारंभ में ही यह देखा जा सकता है कि यह स्वीकार किया गया था कि हरियाणा विधानमंडल के पास कृषि कानूनों के संबंध में पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति है और प्रावधानों को लागू करने के लिए हरियाणा विधानमंडल की योग्यता को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। समान रूप से यह विवाद में नहीं है कि नियत दिन प्रासंगिकता या उद्देश्य के बिना तय किया गया एक मनमाना दिन नहीं है। यह स्वीकार किया गया है कि इसी दिन भूमि सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त केन्द्रीय पैनल के निर्णय की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी जिसमें व्यापक रूप से भूमि की मात्रा की घोषणा की गई थी जिसे पूरे देश के भीतर समान रूप से रखा जाना चाहिए। कृषि सुधारों के बड़े उद्देश्य को विफल करने के लिए उक्त तारीख के बाद किए गए भूमि के हस्तांतरण या अन्य निपटान, इसलिए अधिकतम कानूनों को विचार से बाहर रखा जाना था। इसलिए, उक्त तिथि अपरिवर्तनीय निश्चित बिंदु बन गई, जहां से! भूमि की अधिकतम सीमा और उसके अंतर्गत अधिशेष अथवा अनुमेय क्षेत्रों पर कार्य किया जाना था। उपरोक्त पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह फिर से स्वीकार किया गया कि धारा 7 स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी है क्योंकि यद्यपि अधिनियम 23 दिसंबर, 1972 को प्रख्यापित किया गया था, भूमि पर अधिकतम सीमा और अधिनियम द्वारा घोषित अनुमेय क्षेत्र 24 जनवरी के नियत दिन से लागू होना था। 1971, यानी लगभग दो साल पहले। वकील ने स्वीकार किया था कि यह रेट्रो-पेक्टिविटी वैध थी और धारा 7 को रिट-याचिकाओं या बहस के दौरान कोई चुनौती नहीं दी गई थी। अब जब ऐसा हो जाता है, तो यह स्पष्ट है कि भूस्वामी का अधिशेष क्षेत्र स्वयं 24 जनवरी, 1971 की तारीख के संबंध में अपरिवर्तनीय रूप से तय किया जाना है। यह वास्तव में एक अजीब स्थिति होगी कि यदि यह स्वयं भूस्वामी के लिए है, फिर भी उसके वयस्क बेटे के लिए अनुमत अलग इकाई के संबंध में, इसे धारा 9 (1) के तहत अधिसूचना द्वारा कभी-कभी 1976 के मध्य में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख के तीन महीने के भीतर लगातार उतार-चढ़ाव वाले दिन के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि एक अलग इकाई की अवधारणा वयस्क बेटे का भूमि रखने का अधिकार नहीं है, बल्कि संक्षेप में भूस्वामी पिता का अधिकार है कि वह अपने साथ रहने वाले अपने प्रत्येक वयस्क बेटे के लिए अतिरिक्त भूमि रखे। यह वास्तव में एक असंगत और अवांछित स्थिति होगी कि अपने स्वयं के अनुमेय क्षेत्र के निर्धारण के लिए

कानून द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से निर्धारित तारीख 24 जनवरी, 1971 होनी चाहिए, लेकिन

धारा 9 (2) के तहत अलग इकाई के उद्देश्य, उनके वयस्क बेटों के लिए संबंधित प्रावधान, मानदंड एक अलग तारीख का होना चाहिए, जिसके बाद पांच साल तक मनमाने ढंग से उतार-चढ़ाव होना चाहिए। न तो क़ानून का कोई प्रावधान है, न ही कोई तर्कसंगत सिद्धांत, और उस मामले के लिए कोई मिसाल भी है, जो संभवतः इस तरह के निर्माण की गारंटी दे सकती है।

(13) याचिकाकर्ताओं के वकील ने तब तर्क दिया था कि एक अलग इकाई के लिए भूमि का चयन अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत प्रदान किया गया था और धारा 3 (क्यू) द्वारा परिभाषित अलग इकाई का दायरा 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 17 में संशोधन करके बढ़ाया गया था। इस तर्क का सार यह था कि चूंकि धारा 2 (एफ) के तहत परिवार की अवधारणा और धारा 3 (क्यू) के तहत अलग इकाई में उतार-चढ़ाव आया था और संशोधन प्रावधान द्वारा इसे चौड़ा किया गया था, इसलिए, भूस्वामी के बेटे के बहुमत की तारीख और एक अलग इकाई के परिणामी अधिकार में भी उतार-चढ़ाव बना रहेगा और प्रत्येक मामले में उस विशेष तारीख से संबंधित होगा जिस पर धारा 9 (1) के तहत रिटर्न मिला था। और (2) दायर किया जा सकता है।

(□□□) उपरोक्त तर्क कानून में अप्रत्याशितता के कलंक को संलग्न करने के दोष से स्पष्ट रूप से ग्रस्त है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो घोषणा दायर करने में अधिक अनुभवजन्य देरी भौतिक हो जाएगी और वास्तव में एक अलग इकाई के मूल्यवान और महत्वपूर्ण अधिकार के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिसका निस्संदेह मतलब है कि भूमि मालिक के अनुमेय क्षेत्र में कृषि भूमि का एक पर्याप्त क्षेत्र जोड़ा जाएगा। धारा 9 (1) निर्दिष्ट तिथि से अपनी रिटर्न और घोषणा दाखिल करने के लिए भूस्वामी के विकल्प पर तीन महीने की अवधि छोड़ती है। इसलिए, यदि रिटर्न दाखिल करने की तारीख, जो अनिवार्य रूप से बदलती रहती है और हर भूमिधारक के साथ उतार-चढ़ाव वाली रहती है, को महत्वपूर्ण तारीख बनाया जाना है, तो पार्टियों का महत्वपूर्ण अधिकार समान रूप से इस बीच प्रवाह में रहना चाहिए। इस तरह के इरादे को आसानी से विधायिका के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एकरूपता, स्थिरता और स्पष्ट पूर्वानुमान कानून के आवश्यक हॉल मार्क हैं और एक व्याख्या जो कानूनों को दुविधा की स्थिति में छोड़ देती है, उसे आवश्यक रूप से टाला जाना चाहिए जब तक कि क़ानून की भाषा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ती है। **रामेश्वर *जोत राम और अन्य,* 1975 पीएल जे 454**में कृष्ण अय्यर, जे. और अन्य की सुरम्य भाषा को याद करना शिक्षाप्रद है ।

"बेशक, निर्माण जो परिणामों की पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देगा, उचित व्यवस्था बनाए रखेगा, न्यायिक कार्य की व्याख्या, न्यायालय द्वारा उन्नति।

कानून का उद्देश्य और प्रतिस्पर्धी देशों के बीच कानून के शासन के रूप में इसे न्यायिक प्राथमिकता के रूप में माना जाता है, हमें समर्थन मिलना चाहिए। अपीलीय स्तर पर बाद की घटनाओं के संदर्भ के बिना धारा 18 को पढ़ने से आसान और एकमात्र निष्कर्ष निकलता है कि पार्टियों के अधिकार अदालत में आने की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं और किसी भी अन्य निर्माण के लिए एक दुर्गम बाधा यह है कि एक बार जमा करने के बाद भूमि का स्वामित्व किरायेदार में निहित होता है। कृषि सुधार कानून काफी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है और अपील, समीक्षा और संशोधन और अन्य प्रक्रियाओं के समाप्त होने तक लंबे समय तक अधिकारों को अनिश्चित बनाए रखना, परिणामों की अप्रत्याशितता को इंजेक्ट करना है क्योंकि यह काफी हद तक है कि एक मकान मालिक मुकदमेबाजी के लंबे समय में मर सकता है, या ट्रायल कोर्ट से परे बाद के चरणों में अन्य घटनाएं हो सकती हैं। क्या ऐसी अनिश्चित आकस्मिकताओं के साथ पार्टियों के अधिकारों में उतार-चढ़ाव हो सकता है?

□□□□. निर्माण के कैनन के अलावा मुझे मुख्य क़ानून के प्रावधानों में कोई अस्पष्टता नहीं मिलती है। दरअसल, पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जाना चाहिए कि वास्तव में यह पार्टियों के अधिकारों के निर्धारण के लिए नियत दिन की निश्चित अवधारणा का परिचय देता है। इसलिए, अधिनियम की भाषा स्पष्ट है और इसे प्रभावी किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा अस्पष्टता या अनिश्चितता को जोड़ने के किसी भी प्रयास से सावधानीपूर्वक बचा जाना चाहिए।

(□□□) अंतिम उपाय के रूप में एक सहायक तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत, एक भूस्वामी का अधिशेष क्षेत्र राज्य में निहित है और इसे राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उस तारीख से अधिकृत माना जाता है जिस तारीख को इसे घोषित किया गया है। सतही तौर पर यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि अधिशेष क्षेत्र का निहित होना इसकी घोषणा की तारीख से हो सकता है, जो आवश्यक रूप से भिन्न होता है, तो बेटे के बहुमत के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तारीख को धारा 9

(1) के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के साथ उतार-चढ़ाव की अनुमति दी जा सकती है। रिलायंस को *रामेश्वर और अन्य पर रखने की मांग* की गई थी। *जोत राम और एक अन्य,* (3 सुप्रा) और ***मल्कियत सिंह* बनाम पंजाब *राज्य* 1977 पी.एल.जे,**

पहले उपरोक्त दो प्राधिकरणों को विज्ञापन देने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी भी तरह से पूर्वोक्त तर्क को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए, इन दृष्टांतों के संबंध में विस्तृत खंडन की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है और यह पर्याप्त है।

उल्लेख करने के लिए कि वे दोनों निशान के पूरी तरह से विस्तृत हैं। सिद्धांत रूप में, यह तर्क अधिशेष क्षेत्र के निहित होने को उसकी घोषणा के बराबर करने के बुनियादी भ्रम से ग्रस्त है। यह याद रखने योग्य है कि पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम के तहत, अधिशेष क्षेत्र राज्य में निहित नहीं है और इसका उपयोग केवल किरायेदारों के निपटान के लिए किया जाता है। इसलिए, अधिशेष क्षेत्र की अवधारणा और राज्य में निहित उसके नियम आवश्यक रूप से समान शब्द नहीं हैं। इसलिए, वह तारीख जिसके संबंध में अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण किया जाना है और वह तारीख जब इसे राज्य में निहित किया जा सकता है, आवश्यक रूप से सह-टर्मिनस नहीं होना चाहिए। अन्यथा यह स्पष्ट है कि यह केवल तभी होता है जब क्षेत्र को किसी भूस्वामी के हाथों में अधिशेष घोषित किया जाता है, कि इसके बाद के निहित होने का सवाल संभवतः उत्पन्न हो सकता है। दूसरे, धारा 12 के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा राज्य में अधिशेष क्षेत्र के निहित होने के समय का निर्धारण किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के मामले की समानता या अग्रिम नहीं करता है।

15. पूर्वगामी कारणों से निर्णय के शुरुआती भाग में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, अर्थात, भूमि मालिक के बेटे का बहुमत नियत दिन पर निर्धारित किया जाना है और इसके परिणामस्वरूप लागू निर्देशों अनुबंध पी -1 की वैधता को बरकरार रखा गया है।
16. पक्षकारों के विद्वान वकील इस बात से सहमत हैं कि कानून के महत्वपूर्ण मुद्दे का निपटारा हो जाने के बाद, व्यक्तिगत मामले में गुण-दोष अब अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकारी या अपीलीय और पुनरीक्षण मंचों द्वारा निर्धारित किया जाना है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत मामलों को वैधानिक अधिकारियों के पास अंतिम रूप देने के लिए वापस जाना होगा।
17. रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। लेकिन इसमें शामिल थोड़े अजीब मुद्दों को देखते हुए पार्टियों को अपनी लागत ों को वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

एच.एस.बी.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee JudicialOfficer)

अंबाला,हरियाणा